205

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म०प्र०

स्वेता पत्नि शैलेन्द्र खुराना आयु 37 वर्ष अपील-7170-PBR/16

व्यवसाय पेशा , साकिन राजेन्द्र वार्ड बैतूल गंज

बैतूल -------- अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर आफ

स्टाम्प बैतूल -------- उत्तरवादी

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 47{क} {4} भारतीय स्टाम्प अधिनियम
= =

उपरोक्त अपील अपीलार्थी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर आफ स्टाम्प बैतूल द्वारा प्रकरण क्र. 28/बी/105 /11-12 मे पारित आदेश दिनांक 28.8.2012 एवं न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदा पुरम संभाग द्वारा अपील क्र. 65/2012-13 मे पारित आदेश दिनांक 3.3.2015 जिसकी जानकारी दिनांक 8.6.2016 से होने पर समय सीमा मे निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत करताहै:-

N.F
23/8

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 7170-पीबीआर/16 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-3-2018	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपीलार्थी द्वारा यह अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के आदेश दिनांक 3-5-15 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26-7-16 को लगभग 1 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अवधि की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में बताया गया कि आदेश की जानकारी वसूली नोटिस से मिली है लेकिन इसके समर्थन में वसूली नोटिस की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है । स्पष्ट है कि विलम्ब का आधार आवेदन पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं है, अतः विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति–अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता है ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	